न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : हिमांशु गुप्ता, आई0ए0एस0

रेफरेंस प्रार्थना पत्र सं. 15/2014

प्रार्थीगण–

1. गिरधारीराम पुत्र घमण्डाराम
   जाति मेघवाल निवासी रतासर
   तहसील चौहटन जिला बाड़मेर
2. बबरी पत्नी स्व. धीरा
3. खेमाराम पुत्र स्व. जैसाराम
4. मूलाराम उर्फ लाभूराम पुत्र स्व.
   जैसाराम जाति मेघवाल निवासी
   बजरंगपुरा तहसील चौहटन
   जिला बाड़मेर

बनाम

अप्रार्थीगण–

1. पूरा वल्द शोभा के कायम मुकाम
   1.1 हिरा पुत्र पूरा
   1.2 नरसिंगा पुत्र पूरा
   1.3 हिमता पुत्र पूरा
   1.4 ईशराराम पुत्र पूरा के कायम मुकाम
   1.4.1 गैरों पत्नी ईशराराम
   1.4.2 भभूताराम पुत्र ईशराराम
   जाति जाट निवासी रतासर डेर
   तहसील चौहटन जिला बाड़मेर
2. हरजी पुत्र विशना के कायम मुकाम
   2.1 अमराराम पुत्र हरजीराम
   2.2 बगताराम पुत्र हरजीराम
   2.3 लाखाराम पुत्र हरजीराम
   2.4 दमाराम पुत्र हरजीराम के कायम
   2.4.1 गोसाईराम पुत्र दमाराम
   2.4.2 भींयाराम पुत्र दमाराम
   जाति जाट निवासी रतासर तहसील
   चौहटन हाल निवासी राणासर सड़क
   मार्ग, वन विभाग के पास, गडरारोड़
   तहसील गडरारोड़ जिला बाड़मेर
3. सोना पुत्र विशना
4. दीपाराम पुत्र लिखमाराम
5. खेमाराम पुत्र लिखमाराम

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

जिला कलक्टर
बाड़मेर

6. मेहराराम पुत्र लिखमाराम
7. टीकमाराम पुत्र लिखमाराम
8. रूगाराम पुत्र लिखमाराम
9. जेठाराम पुत्र लिखमाराम
10. पनीदेवी पत्नी लिखमाराम (फोत के कायम मुकाम अप्रार्थी सं. 4से9)
11. अखा पुत्र शोभा के कायम मुकाम
    11.1 मीरा पत्नी अखा
    11.2 जेठाराम पुत्र अखाराम
    11.3 चेनाराम पुत्र अखाराम
    11.4 मोटाराम पुत्र अखाराम
    11.5 रामाराम पुत्र अखाराम
    11.6 लाखाराम पुत्र अखाराम
    11.7 गजेन्द्र पुत्र अखाराम
    जाति जाट निवासी रतासर डेर तहसील चौहटन जिला बाड़मेर
12. सरपंच, ग्राम पंचायत रतासर
13. सरपंच, ग्राम पंचायत बीजराड़
14. तहसीलदार चौहटन जिला बाड़मेर
15. सरपंच, ग्राम पंचायत धारासर

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

रेफरेंस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.01.1974 जो राजस्व वाद सं. 186/1973 अनवाद पूरा बनाम धीरा मे सहायक जिलाधीश बाड़मेर द्वारा जारी की गई।

उपस्थिति :–

1. श्री अमित धनदे, अधिवक्ता प्रार्थी सं. 1 की ओर से उपस्थित।
2. श्री कैलाश एन सारण, अधिवक्ता प्रार्थी सं. 2से4 की ओर से उपस्थित।

जिला कलक्टर
बाड़मेर

3. श्री बाबूलाल जाणी, अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 1से11 की ओर से उपस्थित।
4. श्री सोहन दवे, राजकीय अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 14 की ओर से उपस्थित।
5. अवशेष अप्रार्थीगण बावजूद नोटिस तामील अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय।

आदेश

दिनांक : 26/02/2019

1. प्रार्थी की ओर से यह रेफरेंस प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 232 के अन्तर्गत प्रस्तुत कर अधिनस्थ न्यायालय सहायक जिलाधीश, बाड़मेर द्वारा राजस्व वाद सं. 186/1973 मे पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.01.1974 की वैधता एवं औचित्यता पर जांच कर उसे निरस्त करने हेतु मामला राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को अग्रेषित करने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2. प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह है कि ग्राम रतासर के खसरा नम्बर 162 रकबा 78–11 बीघा भूमि वक्त बन्दोबस्त धीरा वल्द सुखा के नाम दर्ज हुई थी। इस भूमि के बाबत पूरा वल्द सोभा द्वारा एक राजस्व वाद सं. 196/1973 अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत सहायक कलक्टर बाड़मेर के समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त भूमि उसकी खातेदारी एवं कब्जे–अधिपत्य की है जिसे बन्दोबस्त विभाग के अधिकारियों द्वारा भूलवश धीरा के नाम दर्ज कर दी है, जिसे वादी की खातेदारी घोषित की जावें। इस वाद मे प्रतिवादी धीरा द्वारा इकबालिया जवाब प्रस्तुत किया जाकर वादी पूरा के दावे का समर्थन किया गया जिसके फलस्वरूप न्यायालय सहायक कलक्टर बाड़मेर द्वारा निर्णय व डिक्री दिनांक 30.01.1974 जारी कर वादी पूरा को वादग्रस्त भूमि का खातेदार घोषित कर दिया गया। इस निर्णय एवं डिक्री को विधिक प्रावधानो के विपरित होना मानते हुए प्रार्थी सं. 1 गिरधारी द्वारा यह रेफरेंस प्रार्थना पत्र इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। इसके साथ ही उक्त रेफरेंस प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने मे हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

जिला कलक्टर
बाड़मेर

मयाद अधिनियम, के तहत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र भी प्रस्तुत किये गए है।

3. प्रार्थी गिरधारी द्वारा प्रस्तुत रेफरेंस प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण जरिये नोटिस जवाब हेतु तलब किये गये एवं आलौच्य निर्णय एवं डिक्री से सम्बन्धित न्यायालय सहायक कलक्टर बाड़मेर की वाद सं. 186/1973 की मूल पत्रावली अभिलेखागार से प्राप्त कर अवलोकनार्थ इस पत्रावली के हमफीता की गई। दौरान सुनवाई प्रार्थी सं. 2 से 4 द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम, 10 व्यवहार प्रक्रिया संहिता का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर इस प्रकरण मे हितबद्ध पक्षकार होने से पक्षकार संयोजित करने का निवेदन किया, जिसे आदेश दिनांक 29.11.2016 के द्वारा स्वीकार करते हुए प्रार्थी सं. 2 से 4 के रूप मे पक्षकार संयोजित किया गया।

4. हमने उभय पक्ष के अधिवक्तागण को सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं अधिनस्थ न्यायालय की वाद पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधिवक्ता प्रार्थी सं. 1 ने इस प्रार्थना पत्र के द्वारा निवेदन किया है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के दादा जगमाल व उसके सगे भाई धीरा की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जा की पैतृक भूमि थी जो भूलवश अकेले धीरा के नाम दर्ज हो गई थी जबकि इस भूमि पर जगमाल का भी हक हिस्सा था। इस भूमि का पर्चा लगान धीरा के नाम जारी हो गया तथा बन्दोबस्त अधिकारियों द्वारा राजस्व रेकर्ड भी धीरा के नाम तैयार कर मौके पर भौतिक कब्जा एवं पैमाईश करवा दी थी। इस भूमि पर गांव के ही पूरा जाति जाट द्वारा गलत एवं फर्जी रूप से दावा सहायक कलक्टर बाड़मेर के समक्ष प्रस्तुत कर अपने नाम दर्ज करवा ली गई। इसके अलावा वक्त बन्दोबस्त मूल खातेदार धीरा वल्द सुखा के साथ दर्ज रहनकर्ता पूरा वल्द शोभा का नाम नामान्तरकरण सं. 13 दिनांक 31.07.1960 के जरिये तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत बीजराड़ द्वारा हटा दिया था। प्रार्थी का दादा धीरा गरीब, अनुसूचित जाति वर्ग का अनपढ़ व भोले स्वभाव का व्यक्ति था जिसे बहकावे मे लेकर उक्त पूरा ने दावा पेश कर वादग्रस्त भूमि अपनी खातेदारी मे दर्ज

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

जिला कलक्टर
बाड़मेर

करवाने की आलौच्य डिक्री पारित करवा दी जो धारा 42 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के विपरित एवं विधि के प्रतिकूल होने से एवं यह अन्तरण कानूनी रूप से शुन्य होने उक्त निर्णय डिक्री एवं दिनांक 30.01.1974 एवं उसके अनुसरण मे ग्राम पंचायत बीजराड़ द्वारा पारित किया गया नामान्तरकरण सं. 149/74 निरस्त योग्य है। अतः उक्त प्रकरण मे जांच कर धारा 232 राज0 काश्तकारी अधिनियम व सहपठित धारा 9 व 82 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम व अन्य कानूनी प्रावधानों के तहत रेफरेंस प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को उक्त प्रकरण निर्देशित किया जावें।

5. प्रार्थी सं. 2 से 4 एवं अप्रार्थी सं. 1से11 के अधिवक्तागण ने प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि वक्त बन्दोबस्त से ही पूरा वल्द शोभा जाति जाट निवासी रतासर की खातेदारी एवं कब्जे–काश्त की रही है। बन्दोबस्त अधिकारियों के भूल से उक्त भूमि प्रार्थी सं. 2 के पति एवं प्रार्थी सं. 3 से 4 के दादा धीरा के नाम दर्ज हो जाने से पूरा वल्द शोभा द्वारा प्रस्तुत राजस्व वाद मे धीरा द्वारा स्वंय न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर इकबालिया जवाब प्रस्तुत कर पूरा के हक अधिकार को स्वीकार किया गया। प्रार्थी सं. 1 गिरधारी का इस भूमि के बाबत कोई हक अधिकार नही है तथा इस प्रकरण मे वह तृतीय पक्षकार होने से उसे इतनी लम्बी समयावधि पश्चात यह प्रार्थना पत्र लाने का कोई अधिकार नही है। इसलिये प्रार्थी सं. 1 की ओर से प्रस्तुत किया गया यह प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारिज फरमाया जावें। अप्रार्थी सं. 1से11 ने अपने जवाब के समर्थन मे लिखित बहस एवं न्यायिक निर्णय नजीर 2015(2) आरआरटी 868 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त न्यायिक निर्णय मे माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की पूर्णपीठ द्वारा तारा बनाम राजस्थान राज्य के प्रकरण मे यह निर्धारित किया है कि रेफरेंस युक्तियुक्त समय के भीतर प्रस्तुत किया जाना जरूरी है, जबकि हस्तगत रेफरेंस प्रार्थना पत्र लगभग 40 वर्ष बाद पेश किया गया है। इसी प्रकार बिस्मिल्ला बनाम राजस्थान राज्य

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

जिला कलक्टर
बाड़मेर

2014(2) आरआरटी 1004 मे भी माननीय उच्च न्यायालय द्वारा 35 वर्ष के विलम्ब से प्रस्तुत रेफरेंस असंवहनीय (**Not sustainable**) मानते हुए खारिज किया गया है। अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा न्यायिक निर्णय नजीर रामेश्वर बनाम जगदीशराम 2013 (2) आरआरटी 811 प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि इस प्रकरण मे माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान द्वारा भी प्राईवेट पक्षकार द्वारा 25 वर्ष पश्चात प्रस्तुत रेफरेंस को विलम्ब का उचित स्पष्टीकरण नही होने पर धारा 42 राज0 काश्तकारी अधिनियम का उल्लंघन नही मानते हुए रेफरेंस को सारहीन मानते हुए खारिज किया गया है। हस्तगत प्रकरण मे धीरा एवं पूरा पडौसी खातेदार होने से बन्दोबस्त अधिकारियों की मानवीय भूल से राजस्व रेकर्ड मे अंकन गलत दर्ज हो गया। इस गलती को पूरा ने सक्षम न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत कर सही करवाया है जो विधिसम्मत होने से यह रेफरेंस प्रार्थना पत्र काबिज खारिज है।

6. अधिवक्ता अप्रार्थी ने रेफरेंस प्रार्थना पत्र के संबंध मे यह भी प्रकट किया कि धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 मे डिक्री शब्द का संयोजन संशोधन अधिसूचना दिनांक 03.1.1981 के द्वारा किया गया है जबकि आलौच्य निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.01.1974 को जारी की गई है। इस प्रकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के उक्त संशोधन के भूतलक्षी प्रभाव लागू नही होने से आलौच्य निर्णय एवं डिक्री को इस रेफरेंस के जरिये निरस्त करवाने का कोई विधि अनुकूल आधार नही है।

हमने उभय पक्षकारान के अधिवक्तागण द्वारा प्रकट तथ्यों व अभिकथनों पर मनन किया एवं पत्रावली के संलग्न अभिलेखों का उद्योपान्त अवलोकन किया, जिससे यह पाया जाता है कि आलौच्य निर्णय डिक्री वादी पूरा के द्वारा ग्राम रतासर के खसरा नम्बर 162 रकबा 78–11 बीघा भूमि अपनी खातेदारी मे दर्ज कराने हेतु प्रस्तुत वाद एवं प्रतिवादी धीरा की ओर से इकबालिया जवाब के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बाड़मेर द्वारा दिनांक 30.01.1974 को जारी की गई है। इस निर्णय एवं डिक्री जारी होने के लगभग 40 वर्ष बाद उक्त वाद से इतर तृतीय पक्षकार प्रार्थी

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

जिला कलक्टर
बाड़मेर

सं. 1 गिरधारी ने जरिये रेफरेंस चुनौती दी है। प्राथी का कथन है कि वादग्रस्त भूमि उनकी संयुक्त पैतृक खातेदारी की है जिसमे उसके दादा जगमाल का भी हक अधिकार है तथा अप्रार्थी सं. 1 पूरा ने गलत तरीके से धीरा को अपने पक्ष मे करवाकर राज0 काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 42 के प्रावधानों के विपरित जाकर डिक्री जारी करवा दी है। इसके विपरित प्रार्थी सं. 2 से 4 ने अप्रार्थी सं. 1से11 के अभिकथन एवं आलौच्य डिक्री का समर्थन करते हुए इसे सही होना प्रकट किया है तथा प्रार्थी सं.1 तृतीय पक्षकार होने से उसे इतनी लम्बी समयावधि पश्चात रेफरेंस प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नही होना अभिकथित किया है। अप्रार्थी सं. 1से11 के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत विभिन्न न्यायिक निर्णय नजीरों मे माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय एवं राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर ने असाधारण विलम्ब से तृतीय पक्षकार की ओर से प्रस्तुत रेफरेंस प्रार्थना पत्र को असंवहनीय माना है। इसके अलावा अप्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा रेफरेंस प्रार्थना पत्र के संबंध मे धारा 232 के संशोधित प्रावधान की ओर ध्यान आकर्षित कराया है कि डिक्री शब्द का संयोजन संशोधन अधिनियम, 1981 की अधिसूचना दिनांक 03.10.1981 के द्वारा किया गया है, ऐसे मे इस दिनांक से पूर्व पारित निर्णय एवं डिक्री को माननीय राजस्व मण्डल द्वारा रामेश्वर बनाम जगदीशराम आरआरटी 2013(2) पेज 811 मे दिये गये निष्कर्ष अनुसार रेफरेंस योग्य नही है। इस प्रकार अधिवक्ता अप्रार्थीगण द्वारा प्रकट तथ्यों एवं कानूनी बिन्दुओं पर विभिन्न न्यायालयों द्वारा दिये गये अभिमत के विपरित प्रार्थी सं. 1 की ओर से कोई ठोस विधिक स्थिति प्रकट नही की गई है। ऐसे मे प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के मद्देनजर यह रेफरेंस प्रार्थना पत्र मयाद के साथ–साथ गुणावगुण पर भी संवहनीय प्रतीत नही होता है। लिहाजा उपरोक्तानुसार जांच एवं विवेचन उपरांत आलौच्य निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.01.1974 को वैधता एवं औचित्यता के मानक पर जरिये रेफरेंस चुनौती दिये जाने का पर्याप्त आधार नही होने से प्रकरण को राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को निर्णय हेतु अग्रेषित करना उचित नही समझते है।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

जिला कलक्टर
बाडमेर

8. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थी सं. 1 का यह रेफरेंस प्रार्थना पत्र जांच एवं परीक्षण उपरांत प्राथमिक स्तर पर ही अस्वीकार किया जाकर इसी प्रक्रम मे खारिज किया जाता है।

9. आदेश आज दिनांक 26.02.2019 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

(हिमांशु गुप्ता)
जिला कलक्टर, बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर